फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में मुताबिक सर्टिफाई रिपोर्ट अन्तिम डिग्री की जावे। वादी के निवेदन को स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में मुताबिक सर्टिफाई रिपोर्ट अन्तिम डिग्री किया जाता है। कीमत अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील मियाद से ~~[illegible]~~ दाखिल दफ्तर हो। [signature] 10/10/[illegible] उपखण्ड अधिकारी चौमूँ (जयपुर)

(न्या)यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक
53 / 2023	06.06.2023	10.10.2025

उनवान

1. बिमला देवी पत्नी मोहनलाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर राजस्थान।

–वादीया–

बनाम

1. श्रीराम पुत्र हनुमान सहाय, जाति माली, निवासी झोटवाडा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान। हाल निवासी श्रीराम धर्म कांटे के पास ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनाक:– 10.10.2025

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.11.2024 को उक्त वाद में एक पक्षीय प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। पत्रावली पर डिकी की पालना में तहसीलदार चौमू से कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024 प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दौराने वाद प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व 13 पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी / वादीया द्वारा जवाव प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व 13 का पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व 13 पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व 13 का पूर्ण सुनवाई / परिक्षणोपरान्त खारिज किया गया। पत्रावली पर उपस्थित अधिवक्ता वादीया के निवेदन पर बहस सुनी गई। पत्रावली, रिकार्ड, कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया, जिससे वादीया का वाद तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीया का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 26.12.2024 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम चीथवाडी, पटवार हल्का चीथवाडी, भू. अभि. नि. क्षेत्र मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला

10/10/25

उप... अधिकारी
... (जयपुर)

पुर मे स्थित नया खाता संख्या 514 के खसरा नम्बर 2902 कुल किता 01 का कुल रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. बिमला देवी पत्नी मोहन लाल जाति कुमावत सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2902/2 रकबा 0.0921 हैक्टेयर कुल किता 01 का कुल रकबा 0.0921 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. श्रीराम पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 79/779 सन्तोष देवी पत्नी श्रीराम हिस्सा 100/779 जाति माली सा0 देह रोहित डागर पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 600/779 जाति जाट सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2902/1 रकबा 0.0779 हैक्टेयर, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.0779 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) चौमूं के जरिये पंत्राक/भू0अ0/2024/8606 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

10/10/25

दिलीप सिंह

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी चौमूं ,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी

चौमूं (जयपुर)